पटना, 5 सितंबर 2018 दैनिक जागरण 15

पुराने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नहीं देना होगा रेरा निबंधन नंबर

मई 2017 के बाद तैयार फ्लैट की रजिस्ट्री के समय निबंधन नंबर अनिवार्य

- रेरा के प्रभावी होने के बावजूद बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्डर, प्रोपर्टी डीलर और ब्रोकर कायदे-कानून की अनदेखी कर कर रहे हैं कारोबार
- रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियमावली 2018 की अधिसूचना से निबंधन कार्यालयों को करा दिया गया अवगत

जनता के हित में पुराने फ्लैट की खरीद-बिक्री को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से मुक्त रखा गया है। लेकिन पहली मई 2017 के बाद बने फ्लैट की रजिस्ट्री के समय रेरा निबंधन नंबर प्रस्तुत करना होगा।

अफजल अमानुल्लाह, चेयरमैन, रेरा

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियमावली 2018 के तहत मई 2017 के बाद बने फ्लैट की रजिस्ट्री के समय रेरा निबंधन नंबर प्रस्तुत करना होगा। पुराने फ्लैट/अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री को इससे मुक्त रखा गया है। निबंधन विभाग ने अपनी अधिसूचना में इसे स्पष्ट कर दिया है।

दरअसल, बिहार में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के प्रभावी होने के बावजूद बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्डर, प्रोपर्टी डीलर और ब्रोकर कायदे-कानून की अनदेखी कर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने फ्लैट खरीददारों के हित में रजिस्ट्री के समय रेरा निबंधन नंबर अनिवार्य करने का सरकार से आग्रह किया था। इसी आधार पर निबंधन विभाग ने बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियमावली 2018 लागू की है। शासन ने निबंधन कार्यालयों को अधिसूचना से अवगत करा दिया है।

30 सितंबर तक जुर्माने में छूट : रेरा ने पुराने बिल्डरों को राहत देते हुए जारी परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। बिल्डर को 30 सितंबर तक पंजीकरण शुल्क का 400 फीसद या अधिकतम 4 लाख रुपये ही देना होगा। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि राज्य में रियल इस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।